

सन्शोधित विज्ञप्ति

श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी पौडी गढवाल के कार्यालय पत्रांक सं० 390/मस्टरौल आधारित सेवायें/17-18/दिनांक 04 मई 2017 एवं सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक सं० 118/Xi/08/56(38)/2005 दिनांक 01 जुलाई 2009 के परिपेक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (मनरेगा) योजनान्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल में 02(दो) कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० 246/दिनांक 18.5.2017 में आंशिक सन्शोधित करते हुए 01 (एक) पद हेतु मस्टौल/मानदेय /दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्ति हेतु सन्शोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है ।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की सं०	योग्यता	अनुभव व अन्य	प्रतिदिन दिये जाने वाले मानदेय की धनराशि	आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि
1	कनिष्ठ अभियन्ता विकास खण्ड हेतु	01	1.आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक 2.सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक 3.चयन प्रक्रिया के लिए अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा । अ-हाईस्कूल परीक्षा कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत का 10प्रतिशत ब- इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत का 10 प्रतिशत । स-सिविल डिप्लोमा में लिखित तथा प्रेक्टिकल भाग में कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत का 10 प्रतिशत । द-ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा/बी०आर०जी०एफ०/शासकीय विभाग में 1 से 5 वर्ष की सेवा करने पर न्यूनतम 1 अंक अधिकतम 5 अंक य-साक्षात्कार एवं ब्यक्तित्व परीक्षा हेतु अधिकतम 10 अंक ।	-	600.00	02.06.2017 तक

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक निर्देश एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप खण्ड विकास अधिकारी द्वारीखाल जनपद पौडी गढवाल से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं ।

(बी०पी०डबलराल)

खण्ड विकास अधिकारी,/
कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा
द्वारीखाल गढवाल ।

उपरोक्त पदों हेतु शर्तें निम्नवत हैं-

- 1-कं0सं0 01 पर अंकित पदों की संख्या यथावत रहेगी उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित विकास खण्ड कार्यालय द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के सामाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 02.06.2017 को सायं 5-0 बजे तक आवश्यक रूप से पंजिकृत डाक के द्वारा जमा किये जा सकते हैं । साक्षात्कार की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 10 रु0 का कोरा लिफाफा जिस पर स्वयं का पत्राचार का पता अंकित हो एवं मोवाईल न0 अवश्य लिखें ।
- 2- सामाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 02.06.2017 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे और ना ही उन पर कोई विचार किया जाएगा ।
- 3-अभ्यर्थी का चयन निर्धारित योग्यता के अंको एवं साक्षात्कार के अंको के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा ।
- 4-उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है ।
- 5-साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।
- 6- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी चयन समिति के समक्ष प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
- 7-चयन समिति द्वारा मस्टररोल आधार पर कार्य करने हेतु जिन अभ्यर्थियों/कार्मिकों का चयन किया जाएगा । उन अभ्यर्थियों को भविष्य में किसी भी समय हटाये जाने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का आंदोलन, धरना प्रदर्शन, घेराव आदि सरकार/अधिकारियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा ।
- 8-कार्मिक को दैनिक मानदेय/मस्टररोल आधार पर सप्ताह में 06 कार्य दिवसों को आधार मानते हुए माह में अनुमन्य मानदेय/मस्टररोल की सीमा तक भुगतान किया जाएगा ।
- 9- विस्तृत जनकारी हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के दूरभाष न0 01386-276017पर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालय द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है ।
- 10- चयन हेतु अन्तिम अधिकार खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा विकास खण्ड द्वारीखाल के पास सुरक्षित रहेगा ।

21-

(बी0पी0डबराल)

खण्ड विकास अधिकारी/
कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा
द्वारीखाल गढ़वाल ।

॥ कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारीखाल ॥
पत्रांक 256/2-लेखा/मनरेगा/2017-18/दिनांक मई 19, 2017

प्रतिलिपि- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्त सन्शोधित विज्ञप्ति को सरकारी न्यूनतम दरो में किसी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए प्रमाणित विल दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पौड़ी गढ़वाल की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सन्शोधित विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 पौड़ी वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे
- 3- जिला विकास अधिकारी /उप जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा पौड़ी गढ़वाल ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी /अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा पौड़ी गढ़वाल ।
- 5- जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा गढ़वाल ।
- 6- सूचना पट चश्पा हेतु ।
- 7- सम्बन्धित पत्रावली ।

19/5/17

खण्ड विकास अधिकारी/
कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा
द्वारीखाल गढ़वाल ।